



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 नवम्बर, 2023

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना स्याना

थाना स्याना पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में चोरी/लूट में वांछित अपराधी घायल/वस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 08/09-11-2023 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस टीम थल तिराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि कुछ समय पश्चात सामने की तरफ से एक संदिग्ध बाइक आती दिखायी दी जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार बदमाश बाइक मोड़कर तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बाइक सवार द्वारा बाइक को तेजी से थल तिराहे के पास चक रोड की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया तभी कच्चे रास्ते पर उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **अरविन्द पुत्र रनवीर निवासी मौ0 होली चौराहा कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर** के रूप में हुई है। जिसको उपचार हेतु सीएचसी स्याना में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व स्प्लेन्डर बाइक बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि बदमाश अरविन्द शातिर किस्म का चोर/लुटेरा अपराधी है जो थाना स्याना पर पंजीकृत मुअसं-235/23 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 411/414 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- अरविन्द पुत्र रनवीर निवासी मौ0 होली चौराहा कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
बरामदगी-

- 1- चोरी की 01 काली रंग की स्प्लेन्डर बाइक (डीएल-13-एसयू-5433)
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

अभियुक्त अरविन्द का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 226/19 धारा 414/420 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 227/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 335/19 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
4. मुअसं- 625/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 626/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/420 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 898/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
7. मुअसं- 899/21 धारा 403/414 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
8. मुअसं- 448/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद।
9. मुअसं- 464/22 धारा 379/411 भादवि थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद।
10. मुअसं- 235/23 धारा 41/102 सीआरपीसी 411/414 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 354/23 धारा 307/411/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना स्याना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

थाना स्याना पुलिस टीम-

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह निरीक्षक थाना स्याना।
2. उ०नि० ओमप्रकाश यादव, उ०नि० दिलीप कुमार थाना स्याना।
3. है०का० मनीष कुमार, का० शैलेन्द्र कुमार, का० रूप सिंह , का० सुरेन्द्र कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर